श्री जय सिंह, भा0प्र0से0, जिलाधिकारी, खगड़िया–सह–पदेन अध्यक्ष, जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, खगड़िया की अध्यक्षता में 01–07 जून, 2017 तक मनाये जाने वाली'' बाढ़ सुरक्षा सप्ताह'' के सफल आयोजन हेतु जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, खगड़िया की दिनांक 01.06.2017 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही।

उपस्थितिः– यथा पंजी

बैठक में उपस्थित जिलाधिकारी–सह–पदेन अध्यक्ष, जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के सदस्यों को आपदा प्रबन्धन शाखा खगड़िया के प्रभारी पदाधिकारी द्वारा स्वागत करते हुए बताया गया कि उपाध्यक्ष बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 239/उपा0को0, दिनांक 23.05.2017 के आलोक में जन–मानस को बाढ़ जैसी आपदा के प्रति जागरूक बनाने तथा उससे बचाव के लिए सुरक्षात्मक उपायों की जानकारी देने हेतु प्रत्येक वर्ष 01–07 जून तक ''बाढ़ सुरक्षा सप्ताह'' मनाये जाने का निदेश है।

आपदा प्रभारी पदाधिकारी के द्वारा यह भी बताया गया कि खगड़िया जिला अति बाढ़ प्रवण जिलों में से एक है एवं प्रत्येक वर्ष अथवा कुछ वर्षों के अन्तराल में प्रायः इस जिले के कुछ अंचल/पंचायत बाढ़ से प्रभावित होते रहे है। अतः बाढ़ जैसी आपदा से बचाव की सुरक्षात्मक जानकारी जन–समुदाय को हो, इसी उद्देश्य के लिए प्रचार प्रसार के माध्यम से जानकारी मुहैया कराने हेतु कार्यक्रमों के निर्धारण के लिए जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक आज आहूत की गयी है।

1. जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के उपस्थित सदस्यों के द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के आदेशानुसार सर्वजनिक स्थानों सहित यथा सभी अंचल/अनुमंडल एवं जिला मुख्यालय में बाढ़ सुरक्षा सप्ताह के अवसर पर बाढ़ एवं भूकम्प जैसी आपदा से बचाव की जानकारी हेतु होडिंग एवं फ्लैक्स लगायी जाय।

(अनुपालन–प्रभारी पदाधिकारी, आपदा प्रबन्धन)

2. जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के उपस्थित सभी सदस्यों के द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि जिला के सभी कार्यालयों में बाढ़ से सुरक्षात्मक विषय पर बैनर लगायी जाय, ताकि जन समदुाय को जानकारी मुहैया हो सके।

(अनुपालन–प्रभारी पदाधिकारी, आपदा प्रबन्धन)

3. बैठक में उपस्थित जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सभी सदस्यों के द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि अंचलाधिकारी स्तर पर कार्यरत स्वयंसेवी संगठनों के माध्यम से बाढ़ सुरक्षा सप्ताह के अवसर पर कार्यक्रम का निर्धारण कर प्रचार–प्रचार करायेंगे।

(अनुपालन– प्रभारी पदाधिकारी, आपदा प्रबनधन)

4. बैठक में उपस्थित जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के सभी सदस्यों के द्वास सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि जिला शिक्षा पदाधिकारी, खगड़िया अपनी सुविधा के अनुसार कार्यक्रम का निर्धारण कर बाढ़ एवं भूकम्प के समय कैसे बचे सर्व शिक्षा के माध्यम से विद्यालयों में प्रचार प्रसार करायेंगे तथा पर्चा छपवाकर बटवायेंगे।

(अनुपालन–जिला शिक्षा पदाधिकारी, खगड़िया)

5. बैठक में उपस्थित जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के सभी सदस्यों के द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि बाढ़ सुरक्षा सप्ताह के अवसर पर बाढ़ से बचाव की जानकारी से संबंधित विज्ञापन जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी, खगड़िया के द्वारा प्रिंट मिडिया के माध्यम से करायेंगे।

(अनुपालन–जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी, खगड़िया)

6. बाढ़ के दौरान डूबने एवं नावों के पलटने की काफी घटनाएँ पिछले वर्षो में हुई थी। परन्तु यह महत्वपूर्ण हैं कि जिला स्तर पर इन घटनाओं में कमी लाने हेतु जागरूकता कार्यक्रम नदियों के आसपास रहने वाले व्यक्तियों के बीच किया जाय। इसके लिए पंचायत प्रतिनिधियों की विशेष बैठकें कर उनके माध्यम से आमजनों को जागरूक किया जाय। साथ ही जिन घाटों पर पूर्व में डूबने तथा नाव दुर्घटनाएँ हुई, उन घाटों पर फ्लैक्सी बोर्ड के माध्यम से बचाव संबंधी सूचनाओं का प्रदर्शन किया जाय ताकि लोग सावधानियां बरत सके। इसके अलावे अभियान चला कर परिवहन विभाग द्वारा निर्गत Modern Ferry Rule के अनुसार सभी सरकारी एवं निजी नावों का निबंधन कराया जाय। नाव के सुरक्षा संबंधी व्यवस्थाओं के सबंध में नाविकों के प्रशिक्षण की भी व्यवस्था की जाय। साथ ही नाविकों को यह भी प्रशिक्षण दिया जाय कि नाव डूबने की स्थिति में नाव छोड़कर भागे नहीं, बल्कि स्थल पर उपस्थित रहकर डूबने वाले व्यक्ति को बचाने का प्रयास करें।

(अनुपालन–सभी अंचल अधिकारी/प्रभारी पदाधिकारी, आपदा प्रबन्धन)

7. आज के युग में Print & Electronic Media जन जागरूकता में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं अतएव इनका उपयोग कर बाढ़ की स्थिति में क्या करे, क्या न करें का व्यापक प्रचार–प्रचार कराया जाय। साथ ही प्राधिकरण द्वारा बाढ़ के संबंध में पूर्व प्राप्त सी0डी0 का प्रदर्शन सिनेमा हॉलों/प्राईवेट केबुल ऑपरेटरों के माध्यम से तथा स्थानीय टी0वी0 कार्यक्रमों के माध्यम से कराया जाय।

(अनुपालन–प्रभारी पदाधिकारी, आपदा प्रबन्धन)

8. बाढ़ सुरक्षा सप्ताह मानते समय सरकारी संगठनों, गैर सरकारी संगठनों एवं सिविल डिफेन्स, रेडकॉस स्काउट एवं गाईड, एन0एस0एस0 एवं एन0सी0सी0 जैसी संस्थाओं का भी सहयोग लिया जाय।

(अनुपालन–प्रभारी पदाधिकारी आपदा प्रबन्धन)

9. सर्वजनिक स्थलों पर बाढ़ सुरक्षा के संबंध में पोस्टर, बैनर, फ्लैक्स, होर्डिंग आदि लगवाई जाय तथा मुद्रित पर्चा भी बांटा जाय।

(अनुपालन–प्रभारी पदाधिकारी,आपदा प्रबन्धन)

10. बैठक में उपस्थित प्राधिकरण के सदस्यों को आपदा प्रभारी के पदाधिकारी के द्वारा बताया गया कि प्रचार–प्रसार हेतु विभाग से अभी आवंटन प्राप्त नहीं हुआ हैं, परन्तु विभाग से व्यय के अनुसार आवंटन की मांग की जायेगी। प्रभारी पदाधिकारी, आपदा प्रबन्धन शाखा को विभाग से आवंटन की मांग करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन– प्रभारी पदाधिकारी, आपदा प्रबन्धन)

11. सभी अंचल अधिकारी अपने क्षेत्र अन्तर्गत 3–4 बड़ी नाव के मालिकों से सम्पर्क कर पूर्व से बड़ी नाव की व्यवस्था कर लेंगे।

(अनुपालन–सभी अंचल अधिकारी)

12. बड़ी नाव की खरीद हेतु प्रभारी पदाधिकारी आपदा प्रबन्धन शाखा, खगड़िया आवश्यक कार्रवाई अविलम्ब करें।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

ह0/–
जिलाधिकारी
खगड़िया।

ज्ञापांक 177 /आपदा प्रबन्धन, दिनांक 5-6-17

प्रतिलिपिः सभी संबंधित पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः जिला सूचना–विज्ञान पदाधिकारी, खगड़िया/जिला आई0टी0 प्रबंधक, खगड़िया को सूचनार्थ तथा जिला के वेबसाईट पर अपलोड एवं संबंधित पदाधिकारी को ईमेल करने हेतु प्रेषित।

जिलाधिकारी
खगड़िया।